07/3/25 पत्रावली वास्ते डिक्री पेश हुई। उभय पक्ष उप.।
वाद वादी स्वीकार किया जाता है। पृथक डिक्री
अलग से लिखा गया। प्रमाणित डिक्री जारी हो।
नियम से कहा।

डिक्री बनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2016/00128

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज0)

(पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–157 / 16 (RCMS No. 2016/00128) दायरा दिनांक :– 02.08.2016

अनवान :–

1. भंवरसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी चाहडसर तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

––वादी

बनाम

1. मदन कंवर पुत्री फतेहसिंह पत्नी श्री महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी गुडली तह0 सूरतगढ राज0।
2. जमना कंवर पुत्री फतेहसिंह पत्नी पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी गुडली तह0 सूरतगढ राज0।
3. रूप कंवर पुत्री फतेहसिंह पत्नी ईसरसिंह जाति राजपूत निवासी जैसीसर तह0 सरदारशहर राज0।
4. महावीरसिंह पुत्र किसनसिंह जाति राजपूत निवासी चाहडसर तह0 सूरतगढ राज0 (मृतक)

4/1 विमला कंवर पत्नी महावीरसिंह पुत्र किसनसिंह जाति राजपूत निवासी चाहडसर तह0 सूरतगढ राज0।

4/2 दीपु कंवर पुत्र/
4/3 राजेन्द्र सिंह
4/4 सुनीता कंवर
} पुत्री महावीरसिंह पुत्र किसनसिंह जाति राजपूत निवासी चाहडसर तह0 सूरतगढ राज0।

5. सुमेर सिंह पुत्र किसनसिंह जाति राजपूत निवासी चाहडसर तह0 सूरतगढ राज0।
6. कालूसिंह पुत्र फतेह सिंह जाति राजपूत निवासी चाहडसर तह0 सूरतगढ राज0। (नाम तर्क)
7. सोहन गिरी पुत्र श्री प्रेमगर जाति गुसांई निवासी थालड़का हाल निवासी चाहडसर तह0 सूरतगढ राज0।
8. निर्मला देवी पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी ठेठार तह0 सूरतगढ राज0।
9. विद्यादेवी पत्नी गोमन्दराम जाति जाट निवासी ठेठार तह0 सूरतगढ राज0।
10. प्रबंधक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स रघुनाथपुरा तह0 सूरतगढ।
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ।
12. शिशपालसिंहपुत्र फतेहसिंह राजपूत निवासी चाहडसर तह0 सूरतगढ राज0।
13. मदन कंवर पत्नी रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी 1 बी.पी.एम. तह0 अनुपगढ राज0।

––उतरवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:55 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :– 1.अजय कुमार अधिवक्ता – वादी।

2.लेखराम अधिवक्ता – प्रतिवादी सं0 1 से 6, 12

3. पैशकार राज.

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

::– निर्णय –:: दिनांक :– 07.03.2025

पत्रावली के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि वादी ने जरिये अभिभाषक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि रोही चाहडसर तह0 सूरतगढ की जमाबंदी सम्वंत 2070 से 73 के खाता सं0 147 के ख0 नं0 63 में 2.200 है0, 65 में 14.758 है0, 89 में 2.402 है0, 221 में 1.240 है0, 352 में 2.428 है0, 353 में 5.527 है0, 356 में 1.227 है0 = 29.782 है0 बारानी दोयम खातेदारी के संयुक्त खाता में हैं जिसमें वादी के नाम 9.322 हैक्टर भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी सं0 1 से 5 की 5.195 है0, प्रतिवादी सं0 6 की 0.317 है0, प्रतिवादी सं0 7 की 3.795 है0 एवं प्रतिवादी सं0 8–9 की 5.957 है0 भूमि है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न दावा है। उपरोक्त वर्णित संयुक्त खाता के सभी खातेदार अपने अपने हिस्सा अनुसार मौका पर अलग अलग काबिज है। एवं काश्त कर रहे है। वादी का मौका पर ख0 नं0 65 में पश्चिमी–दक्षिणी भाग में 9.322 है0 भूमि पर कब्जा है। यह कब्जा वादी का भूमि आंवटन के समय से है। लगातार इसी भाग पर कब्जा है। यह ख0 नं0 65 पुराने ख0 नं0 14 से परिवर्तित हुआ है। एवं वादी को आवंटन ख0 नं0 14 में हुआ था। इसी ख0 नं0 65 को उतरी –पूर्वी कॉर्नर भाग पर प्रतिवादी सं0 7 का कब्जा है। प्रतिवादी सं0 7 को वादी ने ही भूमि विक्रय की थी। वादी ने अपने कब्जा के भू–भाग को कड़ी मेहनत से सुधार कर अधिक उपजाउ बनाया है। एवं वादी और भूमि सुधार करना चाहता है। संयुक्त खाता होने से भूमि सुधार करने में कठिनाईया उत्पन्न हो रही है। प्रवितादीगण सं0 1 से 6 झगड़ालू एवं लालची किस्म के व्यक्ति है। एवं खाता संयुक्त होने के कारण वादी के कब्जा मे दखल दाजी का प्रयास करते रहते है। जिससे हर समय मौका पर विवाद की सम्भावना बनी रहती है। इस कारण वादी खाता विभाजन करवाना चाहता है। वादी ने खाता विभाजन की कार्यवाही हेतु पिछले कुछ समय से कई बार प्रतिवादीगण से सम्पर्क किया तो वे किसी न किसी बहाने से टालते रहे। इसके बाद दिनांक 10.06.2016 को वादी ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर खाता विभाजन की कार्यवाही करने को कहा तो वे स्पश्ट इन्कार हो गए एवं वादी को यह धमकी दी कि तुम तो रघनाथपुरा रहते हो पिछे से तुम्हारी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लेगें। प्रतिवादीगण की इस इन्कारी एवं धमकी से वादी को वाद कारण प्राप्त होता है। एवं वादपत्र स्वीकार कर वाद पत्र में वर्णित वादी के कबजा अनुसार खाता विभाजन कर वादी के कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करने की आज्ञाप्ति पारित करने का निवेदन किया। वाद पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रवितादी सं0 1 से 6 की तरफ से लेखराज देरासरी अधिवक्ता उपस्थित आए। दिनांक 22.11.2022 को शिशपाल सिंह द्वारा जरिए अधिवक्ता पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील वादी द्वारा आपत्ति नहीं किए जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी सं0 12 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। दिनांक 02.06.2023 को वादी के प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी सं0 6 को बिना वारिस फौत होने पर तर्क किया गया एवं मदन कंवर पत्नी रेवन्त सिंह की और से पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर पक्षकार बनाया गया। दिनांक 22.03.2024 को प्रतिवादी सं0 4 की मृत्यु होने पर उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने के आदेश दिए गए। दिनांक 07.05.2024 को वादी के अधिवक्ता द्वारा संशोधित प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 12.06.2024 को प्रतिवादी सं0 1 से 5 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी सं0 12 द्वारा जवाब दावा/मय प्रतिदावा पेश किया गया। बाद जवाबदावा/प्रतिदावा निम्न विवाधक कायम किए गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

1. आया कि वादी वाद पत्र में प्रशनगत भूमि 29.702 है0 में 9.322 है0 का संयुक्त खातेदार है। –वादी
2. आया कि वादी मुताबिक कब्जा ख0 नं0 365 के 9.322 है0 का अलग खाता कायम करवाने के अधिकारी हैं। –वादी
3. आया कि प्रति. सं. 12 के हिस्सा में 0.517 है0 भूमि आती है। जिसकी घोषणा करवाने का प्रति. सं. 12 अधिकारी है। प्रति.स. 12
4. आया कि प्रतिवादी सं0 1 ता 3, 6, 12 के मध्य हुए आपसी घरेलू सहमति के आधार पर वाद का निस्तारण करवाने के अधिकारी। प्रति. सं. 12
5. अन्य अनुतोष।

तत्पश्चात वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया। वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं की गई एवं अन्य कोई साक्ष्य में उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली बहस हेतु रखी गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी के अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वादी के कब्जा अनुसार खाता विभाजन का निवेदन किया एवं यह कथन भी किया कि कुल भूमि में से 2.146 भूमि सड़क परियोजना में आवाप्त हो चुकी है। शेष भूमि 27.636 है0 में से वादी के नाम 8.657 है0 दर्ज है। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रतिदावा में अन्य प्रतिवादीगण के हिस्सा का विवरण अंकित करते हुए उसी अनुसार हको की घोषणा एवं विभाजन का निवेदन किया।

बाद बहस वादी के अधिवक्ता द्वारा वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं दावा प्रतिदावा के अभिवचनो एवं नवीनतम जमाबंदी का अध्ययन किया गया। बाद अध्ययन एवं अवलोकन विवाधक अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से हैः–

विवाधक सं0 1 :– आया कि वादी वादपत्र में प्रशनगत भूमि आवाप्ति के पश्चात शेष 27.636 में 8.657 है0 का संयुक्त खातेदार है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत नवीनतम जमाबंदी मे वादी के नाम 8.657 है0 खातेदारी दर्ज है। जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है चुंकि वादी मुताबिक रिकॉर्ड 8.657 है0 का खातेदार दर्ज है। अतः यह तनकी वादी अपने हक में साबित करने में सफल रहा है। अतः इस विवाधक का निर्णय वादी के हक में किया जाता है।

विवाधक सं0 2 :– आया कि वादी मुताबिक कब्जा ख0 नं0 365 के 8.657 है0 का अलग खाता कायम करवाने के अधिकारी है।

यह विवाधक सिद्ध करने का भार वादी पर था। विवाधक सं0 1 के निर्णय के अनुसार वादी खातेदार कृषक साबित है। वादी के कब्जा के विरूद्ध किसी भी प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति नहीं की गई है। अतः वादी मुताबिक कब्जा विभाजन कराने का हकदार साबित है। अतः यह विवाधक वादी के हक में निर्णित किया जाता है।

विवाधक सं0 3 :– आया कि प्रति. सं. 12 के हिस्सा में 0.517 है0 भूमि आती है। जिसकी घोषणा करवाने का प्रति. सं. 12 अधिकारी है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं0 12 पर था। प्रतिवादी सं0 12 द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है। एक पारीवारिक सहमति पत्र पेश किया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally Signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:55 IST
Reason: SelfAttested

गया है। उक्त सहमति को भी साबित नही किया है। अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी संख्या 12 के विरूद्ध तय का जाता है।

विवाधक सं0 4 :— आया कि प्रतिवादी सं0 1 ता 3, 6, 12 के मध्य हुए आपसी घरेलू सहमति के आधार पर वाद का निस्तारण करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा प्रतिवाद पत्र के साथ पारिवारिक सहमति पत्र पेश किया है एवं पक्षकारो के हिस्सा का विवरण दिया है जो स्पष्ट नही है। जमाबंदी में ऐसा कोई रकबा अंकित नही है एव ना ही इस सम्बन्ध में लिखित व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये है। अतः उक्त तनकी भी प्रतिवादी संख्या 12 के विरूद्ध तय की जाती है।

अतः उपरोक्त विवाधक वार विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 12 का प्रतिवाद पत्र अस्वीकार किया जाता है। वाद वादी स्वीकार कर मुताबिक वर्तमान रिकॉर्ड एवं मौका कब्जा की जानकारी हेतु प्राथमिक डिक्री पारित किया जाना उचित समझते है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ की रोही चाहड़सर की जमाबंदी सम्वत् 2070—73 के खाता नं. 147 नया 126 पुराना के ख0 नं0 63 में 2.200 है0, 65 में 14.758 है0, 89 में 2.402 है0, 221 में 1.240 है0, 352 में 1.6744 है0, 353 में 4.134 है0, 356 में 1.227 है0 = 27.636 है0 बारानी दोयम भूमि का विभाजन पक्षकारो के हिस्सा एवं मौका कब्जा अनुसार किए जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ पक्षकारो के हिस्सा व कब्जा अनुसार राजस्व नियमो की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव नियमावली अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा तैयार कर एक माह में भिजवायें। प्राथमिक डिक्री जारी हो। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पुनः पेशी में ली जाकर निर्णय किया जावें। नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:55 IST
Reason: SelfAttested

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: प्राथमिक परचा डिक्री::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी :–सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. भंवरसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी चाहडसर तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

–वादी

बनाम

1. मदन कंवर पुत्री फतेहसिंह पत्नी श्री महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी गुडली तह0 सूरतगढ राज0।
2. जमना कंवर पुत्री फतेहसिंह पत्नी पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी गुडली तह0 सूरतगढ राज0।
3. रूप कंवर पुत्री फतेहसिंह पत्नी ईसरसिंह जाति राजपूत निवासी जैसीसर तह0 सरदारशहर राज0।
4. महावीरसिंह पुत्र किसनसिंह जाति राजपूत निवासी चाहडसर तह0 सूरतगढ राज0 (मृतक)
   4/1 विमला कंवर पत्नी महावीरसिंह पुत्र किसनसिंह जाति राजपूत निवासी चाहडसर तह0
   4/2 दीपु कंवर
   4/3 राजेन्द्र सिंह
   4/4 सुनीता कंवर
   } पुत्र/पुत्री महावीरसिंह पुत्र किसनसिंह जाति राजपूत निवासी चाहडसर तह0 सूरतगढ राज0।
5. सुमेर सिंह पुत्र किसनसिंह जाति राजपूत निवासी चाहडसर तह0 सूरतगढ राज0।
6. कालूसिंह पुत्र फतेह सिंह जाति राजपूत निवासी चाहडसर तह0 सूरतगढ राज0। (नाम तर्क)
7. सोहन गिरी पुत्र श्री प्रेमगर जाति गुसांई निवासी थालड़का हाल निवासी चाहडसर तह0 सूरतगढ राज0।
8. निर्मला देवी पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी ठेठार तह0 सूरतगढ राज0।
9. विद्यादेवी पत्नी गोमन्दराम जाति जाट निवासी ठेठार तह0 सूरतगढ राज0।
10. प्रबंधक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स रघुनाथपुरा तह0 सूरतगढ।
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ।
12. शिशपालसिंहपुत्र फतेहसिंह राजपूत निवासी चाहडसर तह0 सूरतगढ राज0।
13. मदन कंवर पत्नी रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी 1 बी.पी.एम. तह0 अनुपगढ राज0।

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद पत्र धारा– 53,188 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 157 वर्ष 2016 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री अजय अरोड़ा, वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व 12 श्री लेखराज देरासरी तथा राजपैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व परचा डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 12 का प्रतिवाद पत्र अस्वीकार किया जाता है। वाद वादी स्वीकार कर मुताबिक वर्तमान रिकॉर्ड एवं मौका कब्जा की जानकारी हेतु प्राथमिक डिक्री पारित किया जाना उचित समझते है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ की रोही चाहड़सर की जमाबंदी सम्वत् 2070–73 के खाता नं. 147 नया 126 पुराना के ख0 नं0 63 में 2.200 है0, 65 में 14.758 है0, 89 में 2.402 है0, 221 में 1.240 है0, 352 में 1.6744 है0, 353 में 4.134 है0, 356 में 1.227 है0 = 27.636 है0 बारानी दोयम भूमि का विभाजन पक्षकारो के हिस्सा एवं मौका कब्जा अनुसार किए जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ पक्षकारो के हिस्सा व कब्जा अनुसार राजस्व नियमो की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव नियमावली अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा तैयार कर एक माह में भिजवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:55 IST
Reason: SelfAttested

नोज......x......मुबलिग...... x......बाबत...... x......खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह......x......फस्दों की पालना..... x...आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07.03.2025 को जारी की गई।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)